

No. 42/2/2007-P&PW (G)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions  
Department of Pension & Pensioners Welfare  
.....

3<sup>rd</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan,  
New Delhi 110 003  
Dated the 5th November, 2007

**CORRIGENDUM**

Subject: Grant of Dearness Relief to Central Government pensioners/family pensioners-  
Revised rate w.e.f. 1.1.2007 & 1.7.2007.

.....

In this Department's O.M. No.42/2/2007-P&PW(G) dated 29<sup>th</sup> March, 2007 in Hindi version in the third line of para 4 for the date '1.7.2005' may be read as '1.1.2007' and in second line in para 5 for the date '1.7.2006' may be read as '1.1.2007'.

2. In this Department's O.M. No.42/2/2007-P&PW(G) dated 18<sup>th</sup> September, 2007 in Hindi version in the third line of para 4 for the date '1.7.2005' may be read as '1.7.2007'.

  
(M.P. Singh)  
Director  
Tele:24624802

To

All Ministries/Departments to the Government of India/Chief Secretaries and AGs of all States/UTs.

*Please visit <http://persmin.gov.in/pension> for the orders on pension matters including above orders.*

संख्या-42/2/2007-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग

\*\*\*\*\*

तृतीय तल,  
लोकनायक भवन,  
नई दिल्ली, दिनांक : 5 नवम्बर, 2007

### शुद्धि पत्र

विषय केन्द्रीय सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को दिनांक 01-01-2007 और 01-07-2007 से महंगाई राहत की संशोधित दरें प्रदान करना ।

इस विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2007 के का० ज्ञा० सं० 42/2/2007-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) के हिन्दी अनुवाद के पैरा 4 की तीसरी लाईन दिनांक "01-07-2005" के स्थान पर "01-01-2007" और पैरा 5 की दूसरी लाईन में दिनांक "01-07-2006" के स्थान पर "01-01-2007" पढ़ा जाए ।

2. इस विभाग के दिनांक 18 सितम्बर, 2007 के का० ज्ञा० सं० 42/2/2007-पी.एण्ड पी.डब्ल्यू.(जी) के हिन्दी अनुवाद के पैरा 4 की तीसरी लाईन दिनांक "01-07-2005" के स्थान पर "01-07-2007" पढ़ा जाए ।

  
(एम. पी. सिंह)  
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों तथा महालेखा परीक्षकों को प्रेषित ।

"उपरोक्त आदेश तथा पेंशन संबंधी मामलों के अन्य निर्देशों हेतु वेबसाइट <http://persmin.gov.in/pension> को देखें" ।